यह निरीक्षण प्रतिवेदन **चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगाव (उत्तरकाशी)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगाव (उत्तरकाशी)** के माह 06/2015 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री श्रवण कुमार एवं श्री भानु प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 12.11.2018 से 16.11.2018 तक श्री ए सी कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री **उदयवीर सिंह एवं विनीत निगम** , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री प्रेमचंद्र, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनाक 19/06/15 से 23/06/15 तक सम्पादित किया गया। जिसमें माह 05/2012 से 05/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2015 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः स्वास्थ संबन्धित समस्त योजनाओ का क्रियान्वयन एवं निरीक्षण किया जाता है इसका भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण विकास खंड नोगाव है।**

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रू. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		गैर स्थापना			गैर स्थापना		बचत /आधिक्य
	स्थापना ₹	गैर स्थापना ₹	आवंटन ₹	व्यय ₹	बचत/आधिक्य	आवंटन ₹	व्यय ₹	
2015-16	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	338.76	217.16	121.60
2016-17	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	308.07	304.81	3.26
2017-18	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	445.64	401.90	43.74

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (अ) श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः- सचिव,चिकित्सा एवं स्वास्थ → महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ गढ़वाल पौड़ी → मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी → चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगाव

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगाव, उत्तरकाशी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगाव, उत्तरकाशी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो "ब"

प्रस्तर:1- जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 180 लाभार्थियों को ₹ 2.48 लाख का भुगतान लंबित रहना।

जननी सुरक्षा योजना का प्रारम्भ 2005-06 में हुआ था जिसका मुख्य उदेश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना था जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु की दर को कम किया जा सके। जननी सुरक्षा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रसव की संभावित तिथि के 16 से 20 सप्ताह पूर्व जे0 एस0 वाई0 कार्ड स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधिकारी के सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए साथ ही प्रसव के सात दिन पूर्व अथवा प्रसव के दिन तक शहरी लाभार्थी को 1000/- रुपये तथा ग्रामीण लाभार्थी को 1400/- रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए इसके बाद किया गया भुगतान अवैध माना जाएगा कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगाव के वर्ष 2017-18 से 2018-19(अगस्त 2108 तक) जननी सुरक्षा योजना से संबन्धित लेखा अभिलेखो की लेखा परीक्षा में पाया गया कि

वर्ष	ग्रामीण प्रसव	शहरी प्रसव	ग्रामीण प्रसव हेतु प्रदान की गई धनराशि (1400@प्रति प्रसव)	ग्रामीण प्रसव हेतु लंबित भुगतान की धनराशि(1400 @प्रति प्रसव)	शहरी प्रसव हेतु प्रदान की गई धनराशि (1000@प्रति प्रसव)	शहरी प्रसव हेतु लंबित भुगतान की धनराशि (1000@ प्रति प्रसव)
2017-18	675	30	781200(558)	163800(117)	24000(24)	6000(06)
2018-19 (अगस्त तक)	217	06	228200(163)	75600(54)	3000(03)	3000(03)
कुल	892	36	1009400(721)	239400(171)	27000(27)	9000(09)

कुल 928 प्रसव हुए (892 ग्रामीण तथा 36 शहरी) जिनके सापेक्ष कुल 748 प्रसव हेतु रुपये 10.36 लाख का भुगतान (721 ग्रामीण प्रसव हेतु रुपये 10.10 लाख एवं 27 शहरी प्रसव हेतु रुपये 0.27लाख) किया गया। जबकि 180 प्रसावों का कुल रुपये 2.48 लाख का भुगतान (171 ग्रामीण प्रसव का रुपये 2.39 तथा 09 शहरी प्रसव का रुपये 0.09 लाख) लेखा परीक्षा तिथि (11/2018) तक लंबित थे। आगे लेखा अभिलेखो की जांच में यह भी पाया गया कि जो वर्ष 2018-19 का भुगतान किया गया था वो भी 04 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत किया गया जो कि अनियमित था।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि लाभार्थियों द्वारा भुगतान संबन्धित आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध न कराये जाने के कारण बिलंब हुआ। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि आशा का कार्य लाभार्थियों को सम्पूर्ण योजना की जानकारी प्रदान करना एवं केंद्र से मिलने वाली सभी सुविधाए प्रदान कराना आशाओं का दायित्व होता है जिस हेतु उन्हे प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

अतः जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 180 लाभार्थियों को रुपये 2.48 लाख का भुगतान लंबित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1: रोकड़ बही का अनियमित रखरखाव

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-VI के नियम-159 के अनुसार सभी प्राथिकृत सरकारी कर्मचारी को सरकारी लेन-देन का रोकड़ बही में रखरखाव किया जाना चाहिये। नियम-162 के अनुसार रोकड़ बही की सभी प्रविष्टियां सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये एवं किसी भी सुधार को लाल पेन से किया जाना चाहिये एवं इसे सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये।

चिकित्सा अधिक्षिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नौगांव के वित्तीय वर्ष 2017-18 की चिकित्सा प्रबन्धन समिति से संबन्धित रोकड़-बही की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 की रोकड़ बही के अनुसार वर्ष का अंतिम शेष ₹1217515/- था जबकि Audit Report एवं बैंक पास बुक के अनुसार वर्ष का अंतिम शेष क्रमशः ₹1216378.00 (cash in hand: ₹31037/- & SBI A/c ₹1185341/-) और ₹874299/- था। रोकड़-बही में कुछ प्रविष्टियाँ पेंसिल से की गयी थीं। कार्यालय द्वारा उक्त अंतर के सम्बन्ध में बैंक समाधान विवरण भी तैयार नहीं किया गया था। आगे, लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि कार्यालय द्वारा चिकित्सा प्रबन्धन समिति की वर्ष 2018-19 की रोकड़-बही माह अप्रैल 2018 से लेखापरीक्षा तिथि तक (नवम्बर 2018) तैयार नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर चिकित्सा अधिक्षिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नौगांव द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये प्रतिउत्तर में बताया गया कि रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तर का मिलान कर शीघ्र ही लेखापरीक्षा को अगवत कराया जायेगा। इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर- 2: शासकीय धन राजकोष में समय से जमा न किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-VI के नियम-152 के अनुसार विभागीय अधिकारी द्वारा प्राप्त रोकड़ को जल्द से जल्द कोषागर में जमा किया जाना चाहिये। उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार यूजर चार्जेज के रूप में प्राप्त धनराशि का 50 प्रतिशत राजकोष में तथा 50 प्रतिशत चिकित्सा प्रबंधन समिति के खाते में जमा की जानी चाहिये।

चिकित्सा अधिक्षिका, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नौगांव के चिकित्सा प्रबन्ध समिति के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि यूजर चार्जेज के रूप में वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल धनराशि ₹1160682/- प्राप्त की गयी थी जिसकी 50 प्रतिशत धनराशि ₹580341 राजकोष में जमा की जानी थी। निम्नलिखित विवरण के अनुसार यह धनराशि 01 से 12 माह के विलम्ब से राजकोष में जमा को गई:

माह/वर्ष	उजर चार्जेज के रूप में प्राप्त धनराशि	50 प्रतिशत धनराशि जो राजकोष में जमा किया जाना चाहिये	नियमानुसार राजकोष में जमा किए जाने का दिनांक	राजकोष में जमा की गई धनराशि	राजकोष में जमा का दिनांक	विलम्ब की अवधि
						(धनराशि ₹ में)
08/2017	256654	128327	09/2017	15599	06/09.2017	-
				112728	20.09.2018	12 month
12/2017	19503	9752	01/2018	9751	10.05.2018	04 month
01/2018	15453	7727	02/2018	7727	10.05.2018	03 month
02/2018	269198	134599	03/2018	6441	10.05.2018	02 month
				128157	20.09.2018	06 month
03/2018	200474	100237	04/2018	8804	25.05.2018	01 month
				91433	20.09.2018	05 month

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर चिकित्सा अधिक्षिका, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नौगांव द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये प्रतिउत्तर में बताया गया कि भविष्य में राजस्व प्राप्तियाँ राजकोष में समय से जमा की जायेगी। इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	भाग दो (अ)	भाग दो (ब)	पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
39	2015-16	शून्य	01,02,03	01
योग		शून्य	03	01

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण के संबंध में इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि विगत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों से संबन्धित अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर प्रधान महालेखाकार (लेखा कार्यालय) उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित की जायेगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..................शून्य.................

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगाव** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री मेजर बचन सिंह	चिकित्सा अधीक्षक	01.06.15 से 30.06.15
2.	श्री मेजर अरुण कुमार	चिकित्सा अधीक्षक	01.07.15 से 28.06.17
3.	डा. निधि रावत	चिकित्सा अधिक्षिका	29.06.17 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगाव**, **उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (**सामाजिक** क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

(सामाजिक क्षेत्र)